



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 200]  
No. 200]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 3, 1978/आषाढ़ 12, 1900  
NEW DELHI, MONDAY, JULY 3, 1978/ASADHA 12, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1978

सा० का० वि० 353(अ)--पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15वां) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पासपोर्ट नियमावली, 1967 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :--

1. ये नियम पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 1978 कहलायेंगे।
2. पासपोर्ट नियमावली, 1967 की अनुसूची 1 में--
  - (i) कालम 3 में क्रम संख्या 7 के सामने वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर नीचे लिखी प्रविष्टि रखी जाएगी, यथा :--  
"तमिलनाडु राज्य और पांडिचेरी संघ राज्य-क्षेत्र";
  - (ii) क्रम संख्या 12 के बाव निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, यथा :--
- 13.(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, कर्नाटक राज्य  
बंगलौर (क्षेत्रीय पासपोर्ट  
कार्यालय, बंगलौर)
- (ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, -वही--  
बंगलौर (क्षेत्रीय पासपोर्ट  
कार्यालय, बंगलौर)

(ग) जन-सम्पर्क अधिकारी, बंगलौर कर्नाटक राज्य  
(क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय,  
बंगलौर)

(घ) अधीक्षक, बंगलौर (क्षेत्रीय -वही--  
पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर)

(iii) क्रम संख्या 8(क) से 8 (घ) को क्रम संख्या 8(i)(क) से (घ) के रूप में नयी संख्या दी जाएगी ;

(iv) क्रम संख्या 8(i) के बाद, नीचे लिखी प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, यथा :--

"8. (ii) (क) सहायक पासपोर्ट अधि- केरल राज्य में कन्नूर,  
कारी उपक्षेत्रीय पासपोर्ट कोचीकोद, मालापुरम  
एवं उत्प्रवास कार्यालय, और पालघाट जिले।  
कोचीकोद

(ख) जन सम्पर्क अधिकारी -वही--  
उप-क्षेत्रीय पासपोर्ट एवं  
उत्प्रवास कार्यालय,  
कोचीकोद

(ग) अधीक्षक, उप-क्षेत्रीय -वही--  
पासपोर्ट एवं उत्प्रवास  
कार्यालय, कोचीकोद

[संख्या VI/401/29/78]

एल० एन० रंगराजन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 1978

**G.S.R. 353(E)**.—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1967, namely :—

(1) These rules may be called the Passports (Amendment) Rules 1978.

(2) In Schedule 1 to the Passport Rules, 1967—

(i) against serial No. 7 in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—  
“The State of Tamil Nadu and the Union Territory of Pondicherry”;

(ii) after serial No. 12, the following shall be inserted, namely:—

“13.(a) Regional Passport Officer, Bangalore (Regional Passport Office, Bangalore). The State of Karnataka.

(b) Assistant Passport Officer, Bangalore (Regional Passport Office, Bangalore). —do—

(c) Public Relations Officer, Bangalore (Regional Passport Office, Bangalore). The State of Karnataka.

(d) Superintendent, Bangalore (Regional Passport Office, Bangalore). —do—

(iii) Serial No. 8(a) to (d) is renumbered as serial No. 8(i) (a) to (d);

(iv) after serial No. 8(i), the following entry shall be inserted, namely :—

“8.(ii) (a) Assistant Passport Officer, Sub-Regional Passport and Emigration Office, Kozhikode. The Districts of Cannanore, Kozhikode, Malapuram and Palghat in the State of Kerala.

(b) Public Relations Officer, Sub-Regional Passport and Emigration Office, Kozhikode. —do—

(c) Superintendent, Sub-Regional Passport and Emigration Office, Kozhikode. —do—

[No. VI/401/29/78]

L.N. RANGARAJAN, Jt. Secy.